

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-३०/०१/१७

विषय:- IHS DP योजना के अन्तर्गत राज्य के 11 नगर निकायों के DPR निर्माण हेतु व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति हेतु केन्द्रांश की विमुक्त राशि ₹282.46 लाख रू० (दो करोड़ बेरासी लाख छियालिस हजार रू० मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन की स्वीकृति।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-G-20011/01/2014-BSUP/JNNURM(FTS-10406) दिनांक-23.09.16 द्वारा IHS DP योजनान्तर्गत राज्य के 11 नगर निकायों में योजना के DPR निर्माण हेतु व्यय की गई राज्यांश मद की राशि की प्रतिपूर्ति हेतु ₹282.46 लाख रू० (दो करोड़ बेरासी लाख छियालिस हजार रू० मात्र) केन्द्रांश की विमुक्त की गई है। अतएव स्वीकृत्यादेश सं०-२०१ दिनांक-३०/०१/१७ के आलेक में विमुक्त केन्द्रांश की राशि की आवंटन सहायक अनुदान के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में किये जाने की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है।

(राशि लाख रू० में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना लागत	विमुक्त केन्द्रांश की राशि
1	2	3	4
1	सहरसा	1932.58	19.32
2	मधेपुरा फेज-II	2032.44	20.32
3	किशनगंज फेज-II	3055.17	21.86
4	अररिया	2126.28	21.263
5	मुंगेर	2019.02	20.190
6	बाढ़	3466.46	33.985
7	जमुई	2530.18	24.806
8	फॉरबिसगंज	2152.81	21.106
9	गया	4458.79	40.00
10	बाढ़ फेज-II	2029.64	19.610
11	ठाकुरगंज	4204.15	40.00
		<b>30007.52</b>	<b>282.46</b>

2. स्वीकृत राशि ₹282.46 लाख रू0 (दो करोड़ बेरासी लाख छियालिस हजार रू0 मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो संबंधित नगर निकायों/एजेंसी को राज्यांश मद की भुगतान की गयी राशि से समायोजित कर लिया जयेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.98, ज्ञापांक-5193 दिनांक-28.06.16 एवं 1211 दिनांक-15.12.16 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

3. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। यह राशि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति है। अतः राशि की निकासी कर पुनः राज्य सरकार के खजाना में वापस जमा कर दी जायेगी।


4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.-7355 वि (2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

5. स्वीकृत राशि राशि ₹282.46 लाख रू0 (दो करोड़ बेरासी लाख छियालिस हजार रू0 मात्र) माँग सं0-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-04 - गंदी बस्तियों का विकास, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातीय के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0203- JnNURM अन्तर्गत एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम, पी0एफ0एम0एस0 कोड-1990 विषय शीर्ष 3105-सहायक अनुदान -परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-P2217047890203 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकलनीय होगा। इस बजट शीर्ष में 2131.42 लाख रू0 का बजट उपबंध प्राप्त है।

6. स्वीकृत राशि की निकासी के पश्चात् इसे राज्य सरकार के कोष में उचित शीर्ष में समायोजन हेतु ट्रेजरी चालान द्वारा जमा करा दी जायगी एवं ट्रेजरी चालान की छायाप्राप्ति टी.आर. नम्बर के साथ महालेखाकार (ले. एवं ह.) कार्यालय को राशि की समायोजन हेतु भेज दी जायगी।

7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


  
(जय प्रकाश मंडल),  
सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-04 / IHSDP-07-08 / 2015

३०२

दिनांक- २०/०१/१७

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


  
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-04 / IHSDP-07-08 / 2015

३०२

दिनांक- ३०/०१/१७

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-२(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/संबंधित नगर आयुक्त नगर निगम/संबंधित नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के विशेष सचिव।

Ru 24 ✓

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 20/01/17

**विषय:-** IHSDP योजना के अन्तर्गत राज्य के 11 नगर निकायों के DPR निर्माण हेतु व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति हेतु केन्द्रांश की विमुक्त राशि ₹282.46 लाख रू0 (दो करोड़ बेरासी लाख छियालिस हजार रू0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में निकासी की स्वीकृति।

**आदेश-** स्वीकृत।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-G-20011/01/2014-BSUP/JNNURM(FTS-10406) दिनांक-23.09.16 द्वारा IHSDP योजनान्तर्गत राज्य के 11 नगर निकायों में योजना के DPR निर्माण हेतु व्यय की गई राज्यांश मद की राशि की प्रतिपूर्ति हेतु ₹282.46 लाख रू0 (दो करोड़ बेरासी लाख छियालिस हजार रू0 मात्र) केन्द्रांश की विमुक्त की गई है। तदनुसार विमुक्त केन्द्रांश की राशि की निकासी सहायक अनुदान के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में किये जाने की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है।


(राशि लाख रू0 में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना लागत	विमुक्त केन्द्रांश की राशि
1	2	3	4
1	सहरसा	1932.58	19.32
2	मधेपुरा फेज-II	2032.44	20.32
3	किशनगंज फेज-II	3055.17	21.86
4	अररिया	2126.28	21.263
5	मुंगेर	2019.02	20.190
6	बाढ़	3466.46	33.985
7	जमुई	2530.18	24.806
8	फॉरबिसगंज	2152.81	21.106
9	गया	4458.79	40.00
10	बाढ़ फेज-II	2029.64	19.610
11	ठाकुरगंज	4204.15	40.00
		<b>30007.52</b>	<b>282.46</b>

2. स्वीकृत राशि ₹282.46 लाख रू0 (दो करोड़ बेरासी लाख छियालिस हजार रू0 मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो संबंधित नगर निकायों/एजेंसी को राज्यांश मद की भुगतान की गयी राशि से समायोजित कर लिया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.98, ज्ञापांक-5193 दिनांक-28.06.16 एवं 1211 दिनांक-15.12.16 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।
3. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। यह राशि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति है। अतः राशि की निकासी कर पुनः राज्य सरकार के खजाना में वापस जमा कर दी जायेगी।
4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.-7355 वि (2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
5. स्वीकृत राशि राशि ₹282.46 लाख रू0 (दो करोड़ बेरासी लाख छियालिस हजार रू0 मात्र) माँग सं0-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-04 - गंदी बस्तियों का विकास, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातीय के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0203- JnNURM अन्तर्गत एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम, पी0एफ0एम0एस0 कोड-1990 विषय शीर्ष 3105-सहायक अनुदान -परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-P2217047890203 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकलनीय होगा। इस बजट शीर्ष में 2131.42 लाख रू0 का बजट उपबंध प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि की निकासी के पश्चात् इसे राज्य सरकार के कोष में उचित शीर्ष में समायोजन हेतु ट्रेजरी चालान द्वारा जमा करा दी जायेगी एवं ट्रेजरी चालान की छायाप्राप्ति टी.आर. नम्बर के साथ महालेखाकार (ले. एवं ह.) कार्यालय को राशि की समायोजन हेतु भेज दी जायेगी।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका के पृ0- /टि0 पर दिनांक-..... को प्राप्त है।

9. प्रस्ताव में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ-46/टि० पर दिनांक-16/01/17 को प्राप्त है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(जय प्रकाश मंडल),  
सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-04 / IHSDP-07-08 / 2015 201

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


दिनांक-20/01/17

  
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-04 / IHSDP-07-08 / 2015 201

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मा० मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/ विभागीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/संबंधित नगर आयुक्त नगर निगम/संबंधित नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

दिनांक-20/01/17

  
सरकार के विशेष सचिव।